



फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/57/2013-14

5 फरवरी, 2013

श्री वंश बहादुर,
श्रीयुत मुख्य सचिव के निजी सचिव
एवं सूचना अधिकारी, उ0प्र0 शासन,
लखनऊ

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदय,

श्री टोनी ओझा, पुत्र श्री पुरुषोत्तम केन्द्रीय कारागार सं. 8/9 तिहाड़ दिल्ली-64 का पत्र दिनांक 2 फरवरी 2013 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, जिसके साथ इन्होंने रूपये 10/- का पो.आ. संख्या 06एफ 635286 संलग्न कर अपने दिनांक 5 अक्टूबर 2011 के आवेदन पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी चाही है जो कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार को अग्रसारित किया गया था। (प्रति संलग्न) चूंकि पत्र की विषय वस्तु उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग से संबंधित है। अतः इनका आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपको हस्तांतरित किया जा रहा है। कृपया अधोहस्ताक्षरी को सूचित करते हुए आवेदक को सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

यदि यह विषय-वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हो तो कृपया इसे उस सूचना अधिकारी को हस्तांतरित करने का कष्ट करें जिसके यह निकट से संबंधित हो।

धन्यवाद,

भवदीय,

(महिताब सिंह)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि:-

श्री टोनी ओझा पुत्र श्री पुरुषोत्तम, केन्द्रीय कारागार, सं. 8/9 तिहाड़ दिल्ली-64
कृपया विस्तृत जानकारी हेतु उक्त जनसूचना अधिकारी से संपर्क करें।

(महिताब सिंह)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

0

0/c

शुभ दिनांक

मा.श्री. उपराष्ट्रपति जी

भारत सरकार

6 मंगलनामा जगद रोड दिल्ली



विषय - भुजना अधिकांश अधिनियम-2005 की धारा 7 उपधारा - 7 (1) के तहत भुजना उद्यम करने हेतु प्रार्थना पत्र।

महोदय,

निवेदन यह है कि मैं टोनी ओसाडा श्री. पुरुषोत्तम ओसाडा श्री. जी प्रार्थी के साथ केन्द्रीय कारागार में रह रहा हूँ। श्रीमान् जी प्रार्थी के दी गई शिकायत पर क्या-क्या कार्यावाही की गई है। उस उत्तर R-T-I के तहत देने की कृपा होगी। प्रार्थी इस पत्र के साथ भारतीय पोस्टल आईड संख्या - 06F 635 286 सप्ले-101 का अलेवन किया जा रहा है। कृपया इसका उत्तर देने की कृपा के प्रार्थी आपका सदा अभारी रहेगा।

अन्धवाङ्

प्रार्थी

(Signature)

(टोनी ओसाडा श्री. पुरुषोत्तम)

केन्द्रीय कारागार नं. 8/9

तिहाड़ दिल्ली-64